

न्यायालय :-द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर
(पीठासीन अधिकारी-माखनलाल झोड़)

नियमित व्यवहार अपील क्र.-12/2017
संस्थित दिनांक - 30.03.2017
सी.आई.एस. फाईलिंग नंबर-आर.सी.ए./114/2017
सी.एन.आर कं.-एम.पी.50050008862017

गुहरीसिंह पिता हिरतसिंह उम्र 50 वर्ष जाति गोण्ड
निवासी-ग्राम लोरमी तहसील बैहर जिला बालाघाट - - - **अपीलार्थी**

-// **विरुद्ध** // -

- 1- भगत पिता तोरन उम्र 40 वर्ष जाति अहीर
निवासी-ग्राम लोरमी तहसील बैहर जिला बालाघाट
2- श्रीमान् जिलाध्यक्ष महोदय जिला बालाघाट - - **उत्तरवादीगण**

=====

{न्यायालय:- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री श्रीष कैलाश शुक्ल, द्वारा व्यवहार कमांक 300088ए/2016 गुहरीसिंह बनाम भगत व अन्य एक में पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 28.02.2017 से परिवेदित होकर धारा 96 व्य.प्र.सं. के तहत अपील पेश की है}

=====

श्री यशवंत धुर्वे अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।
श्री पी.एन. शुक्ला वास्ते उत्तरवादी कमांक 1
उत्तरवादी कमांक 2 पूर्व से अनुपस्थित।

=====

-// **निर्णय** // -
(आज दिनांक 20 फरवरी 2018 को पारित)

1. अपीलार्थी ने यह नियमित व्यवहार अपील न्यायालय- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर जिला बालाघाट तत्कालीन पीठासीन अधिकारी {श्री श्रीष कैलाश शुक्ल} द्वारा व्यवहार वाद कमांक 300088ए/2016, गुहरीसिंह बनाम भगत व अन्य एक में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2017 से परिवेदित होकर यह नियमित अपील पेश की है।
2. उभयपक्षों के मध्य स्वीकृत तथ्य यह है कि उभयपक्ष ग्राम लोरमी तहसील बैहर जिला बालाघाट के निवासी हैं।

2 नियमित व्यवहार अपील क.12/2017

3. वादी/अपीलार्थी के वाद का सार यह है कि ग्राम लोरमी, प.ह. न. 37, रा.नि.मं. बिरसा तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा क्रमांक 6/3 रकबा 2.00 एकड़ भूमि वादी को नायब तहसीलदार द्वारा रा.प्र.क. 13अ/19 वर्ष 1994-95 को दिनांक 20.01.1996 का भूमिस्वामी हक में प्रदान की गई जिस पर वादी का पूर्व से कब्जा होकर भूमिहीन था। इसके पूर्व ख.क्र. 6/2 रकबा 2.00 एकड़ भूमि वादी को प्राप्त हुई थी जिसका परिवर्तित ख.क्र. 6/6 हुआ। संशोधन पंजी दिनांक 12.05.1996 क्रमांक 33 द्वारा वादी का नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज हुआ जिस पर वादी फसल बो रहा है। दिनांक 28.08.2010 को प्रातः 9:00 बजे प्रतिवादी क्रमांक 1 उक्त भूमि पर आया तब वादी हल चला रहा था, हल चलाने से मना किया, मार डालने की धमकी दी। वादी को अंदेशा हुआ कि प्रतिवादी, वादी की उक्त भूमि पर कब्जा कर लेगा, स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद पेश करना अत्यावश्यक हुआ। वाद कारण दिनांक 28.08.2010 को प्रातः 9:00 बजे वादग्रस्त भूखंड पर उत्पन्न हुआ। वाद का मूल्यांकन 1,000/-रूपए कर 120/-रूपए न्यायालय शुल्क अदा है। सूची सह दस्तावेज पेश है। दावा डिक्री कर ख.क्र. 6/3 रकबा 2.00 भूमि पर वादी के आधिपत्य में प्रतिवादी क्रमांक 1 स्वयं अथवा अन्य किसी के माध्यम से हस्तक्षेप न कर आज्ञा पारित की जावे। वादी को प्रतिवादी क्रमांक 1 से वाद व्यय दिलाया जावे। अन्य अनुतोष जो उचित हो दिलाया जावे। प्रतिवादी क्रमांक 2 अनावश्यक पक्षकार है उससे वादी कोई अनुतोष नहीं चाहता है।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादोत्तर सह प्रतिदावा पेश किया है, का सार यह है कि वादपत्र की कंडिका क्रमांक 1 से 7 तक के अभिवचन असत्य होने से इंकार किया है तथा प्रतिदावा में लेख किया है कि खसरा क्रमांक 6/2 रकबा 4.68 एकड़ भूमि ग्राम लोरमी प.ह.न. 37, रा.नि.मं. बिरसा तहसील बैहर जिला बालाघाट में स्थित है। उक्त भूमि शासकीय थी जिसमें से प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता तोरन 2.00 एकड़ भूमि पर काश्त करता था उसके बाद प्रतिवादी क्रमांक 1 काश्त कर काबिज था। इस कारण काबित काश्त होने से ख.क्र. 6/2 रकबा 4.68 एकड़ में से 2.00 एकड़ भूमि का पट्टा म0प्र0 शासन द्वारा प्रदान किया गया। प्रतिवादी क्रमांक 1 का शांतिपूर्ण कब्जा है। वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3-4 साल पहले कहने लगा कि प्रति.क्र. 1 जिस भूमि पर काश्त कर रहा है वह वादी को पट्टे पर प्रदान की गई है, वह काश्त करेगा। वादी ने नक्शा दुरुस्ति हेतु तहसीलदार को आवेदन दिया जिस पर रा.प्र.क. 13अ/6अ/2008-2009 था जिस पर तहसीलदार बिरसा द्वारा

सुनवाई की गई। सुनवाई पर वादी कब्जे में नहीं पाया गया। वादी का आवेदन दिनांक 23.05.2009 को निरस्त किया गया। वादी, प्रतिवादी क्रमांक 1 की भूमि पर दखलदांजी करने लगा। वादी की भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 ने कोई दखल नहीं दिया बल्कि वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 की भूमि पर कब्जे में दखल देने का प्रयास किया है।

5. वादी खसरा क्रमांक 6/3 रकबा 2.00 एकड़ भूमि पर नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होने का लाभ उठाकर प्रतिवादी क्रमांक 1 के खसरा क्रमांक 6/2 रकबा 2.00 एकड़ भूमि पर अवैध रूप से दखल न देवे हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर निषेधित किया जावे। प्रतिदावा हेतु वाद कारण दिनांक 17.09.2010 को उत्पन्न हुआ जब वादपत्र की सूचना प्रतिवादी क्रमांक 1 को प्राप्त हुई। स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश प्रतिदावा का मूल्यांकन 1,000/-कर 120/-रूपए न्यायशुल्क अदा की जा रही है। प्रतिदावा स्वीकार कर प्रतिवादी के आधिपत्य की भूमि खसरा क्रमांक 6/2 रकबा 2.00 एकड़ मौजा लोरमी, प.ह.न. 37, रा.नि.मं. बिरसा तहसील बैहर जिला बालाघाट पर वादी स्वयं तथा उसके रिश्तेदार को भूमि पर हस्तक्षेप करने से स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर निषेधित किया जावे। प्रतिदावा का वाद व्यय वादी से दिलाया जावे।

6. प्रतिदावे का लिखित उत्तर वादी ने पेश किया है, का सार यह है कि ख.क्र. 6/2 रकबा 4.68 एकड़ भूमि ग्राम लोरमी, प.ह.न. 37, रा.नि.मं. बिरसा तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित भूमि शासकीय भूमि थी। वादी ने ख.क्र. 6/3 रकबा 2.00 एकड़ भूमि का नक्शा दुरुस्ति हेतु आवेदन तहसीलदार बिरसा के न्यायालय में पेश किया था जिसका राजस्व प्रकरण क्रमांक 13अ/6 वर्ष 2008-09 था। प्रतिदावे के शेष अभिकथन पदवार अस्वीकार किए हैं तथा पद क्रमांक 10, 11, 12 में लेख किया है कि ख.क्र. 6/2 में से 2.00 एकड़ भूमि वादी को तथा 2.00 एकड़ भूमि सीताराम पिता भरत को पट्टेपर प्रदान कर भूमि स्वामी हक में दिया था। वादी का खसरा क्रमांक 6/3 रकबा 2.00 एकड़ तथा सीताराम का 6/4 रकबा 2.00 एकड़ हुआ। दिनांक 20.01.1996 को तहसीलदार बिरसा के आदेश से भूमि वादी को प्राप्त है जिसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया है। ख.क्र. 6/3 रकबा 2.00 एकड़ का वादी मालिक होकर काबिज है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने झूठा वाद पेश किया है। वादी ने प्रतिवादी के कब्जे में हस्तक्षेप नहीं किया है। प्रतिदावा सब्यय निरस्त किया जावे।

4 नियमित व्यवहार अपील क.12/2017

7. प्रस्तुत अपील के आधार का सार यह है कि ग्राम लोरमी, प.ह.न. 37, रा.नि.मं. बिरसा तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित भूमि शासन द्वारा पट्टे पर दिए जाने के आधार पर वादी आधिपत्यधारी है, प्रमाणित न मानकर त्रुटि की है। रा.प्र.क. 13अ/19, 6अ वर्ष 1993-94 में पारित आदेश दिनांक 20.01.1996 के आधार पर प्र.पी. 1 के दस्तावेज की उचित विवेचना कर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है। संशोधन पंजी क्रमांक 33 दिनांक 12.05.1996, खसरा प्र.पी. 2 वर्ष 2010-11 के ख.क. 6/3 रकबा 0.809 हेक्टे. भूमि वादी गुहरीसिंह वल्द हिरतसिंह का नाम दर्ज होना के आधार पर वादी को वादग्रस्त भूमि का आधिपत्यधारी होना न मानकर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है। ख.क. 6/2 रकबा 4.68 एकड़ में से 2.00 एकड़ भूमि वादी को, 2.00 एकड़ भूमि सीताराम वल्द भरत को दी गई थी। प्रतिवादी के आधिपत्य के संबंध में किए गए कथन पूर्ण रूप से निराधार है, सीताराम की भूमि का पट्टा निरस्त नहीं किया गया है। दोषपूर्ण निष्कर्ष निकाला है। खसरा प्र.पी. 2 वर्ष 2010-11 एवं किशतबंदी खतौनी प्र.डी. 3, प्र.डी. 4 के आधार पर भगताराम वल्द तोरन को वादग्रस्त भूमि का आधिपत्यधारी मानकर दोषपूर्ण आदेश पारित किया है।

8. प्रतिवादी क्रमांक 1 के संदेहास्पद दस्तावेज एवं हितबद्ध साक्षियों पर भरोसा कर दोषपूर्ण आदेश पारित किया है। दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य को समुचित मूल्यांकन न कर विधि विरुद्ध ढंग से निर्णय पारित किया है, साक्ष्य का सही मूल्यांकन नहीं किया है, गलत निष्कर्ष निकाला है। स्थायी निषेधाज्ञा का दावा निरस्त कर प्रतिवादी क्रमांक 1 के प्रतिदावे को डिक्री कर दोषपूर्ण निर्णय पारित किया है। आदेश दिनांक 28.02.2017 निरस्त कर दावा डिक्री किए जाने की याचना की है।

अपील के निराकरण हेतु अधोलिखित विचारणीय प्रश्न है :-

क्या न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री श्रीष कैलाश शुक्ल द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 300088ए/2016 गुहरीसिंह बनाम भगत+1 निर्णय दिनांक 28.02.2017 में साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि किये जाने से अथवा तथ्य की त्रुटि किये जाने से अथवा विधि की त्रुटि किये जाने से हस्तक्षेप योग्य है ?

विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निकर्ष :-

9. उभयपक्ष द्वारा पेश लिखित तर्क का अध्ययन कर विचार में लिया गया।

10. अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलार्थी गुहरीसिंह (वा.सा. 1) ने आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत मुख्य कथन दिनांक 07.02.12 को तैयार कराकर पेश किया है, का अध्ययन किया गया। वादी/अपीलार्थी ने न्यायालय के समक्ष मुख्य कथन के पद क्रमांक 4 में भूमि स्वामी हक का प्रमाण पत्र दिनांक 20.01.1996 का पेश किया जाना व संशोधन पंजी दिनांक 12.05.1996 पेश किया जाना कथन किया है जो प्र.पी. 1 एवं प्र.पी. 2 है। वादग्रस्त भूमि का खसरा पांचसाला दिनांक 23.07.11 को प्र.पी. 3 अंकित कराया है। वस्तुतः खसरा नकल वर्ष 2010-11 की है जिसमें ख.क्र. 6/3 रकबा 0.809 हेक्टे. गुहरीसिंह वादी/अपीलार्थी के नाम से दर्ज है। प्र.पी. 4 का नक्शा पेश है जिसमें ख.क्र. 6/2 का विस्तृत क्षेत्रफल दर्शित है किंतु ख. क्र. 6/3 पेश नक्शे में कहाँ है लेख नहीं है। प्र.पी. 5 संशोधन पंजी वर्ष 1996 में अंकित संशोधन क्रमांक 34 दिनांक 12.05.96 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है जिसमें ख.क्र. 6/2 क्षेत्रफल 4.68 एकड़ में से 2.00 एकड़ भूमि सीताराम वल्द भरत को आवंटित किया जाना लेख है।

11. अपीलार्थी/वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि प्र.पी. 1 के अनुसार 2.00 एकड़ भूमि जो वादी को प्राप्त हुई है वह ख.क्र. 6/2 के किस भाग में स्थित है। प्र.पी. 2 के अनुसार गुहरी वादी/अपीलार्थी को 2.00 एकड़ भूमि प्राप्त हुई है, में कोई विवाद नहीं है किंतु प्र.पी. 5 के अनुसार ख.क्र. 6/3 रकबा 0.809 हेक्टे. भूमि अपीलार्थी/वादी के नाम दर्ज है तब वादी/अपीलार्थी को नक्शा दुरुस्त कराकर अपनी चतुरसीमा निर्धारित कराकर वाद पेश करना चाहिए था। प्र.पी. 5 के संशोधन पंजी के अनुसार सीताराम पिता भरत को भूमि आवंटित की गई है वह इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है।

12. भगत (प्रति.सा.1) ने आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत मुख्य कथन अपने वादोत्तर के अनुसार तैयार कराकर पेश कराया है जिसे लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इस साक्षी ने न्यायालय के समक्ष पद क्रमांक 4 में साक्ष्य लेख कराकर प्र.डी. 1 लगायत प्र.डी. 15 के दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित कराया है। दस्तावेजी साक्ष्य के प्रभाव के कारण इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण को लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है तथा होरीलाल (प्रति. सा.2) के मुख्य कथन और प्रतिपरीक्षण को लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

13. प्र.डी. 2 नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि में खसरा नंबर 6/2 को दर्शाया गया है जो प्र.पी. 4 खसरा नकल के समान है। दोनों में खसरा क्रमांक 6/2 के अंश भाग खसरा क्रमांक 6/3 की स्थिति को नहीं दर्शाया है।

14. अपीलार्थी की ओर से तर्क का विशेष बिंदु यह है कि जब ख.क्र. 6/2 का रकबा 4.68 एकड़ है और उसमें से प्र.पी. 1 के अनुसार 2.00 एकड़ भूमि वादी को आवंटित की गई है जिसका संशोधन क्रमांक 33 दिनांक 12.05.1996 की प्रमाणित प्रति अभिलेख पर है। साथ ही प्र.पी. 3 खसरा नकल के अनुसार ख.क्र. 6/3 रकबा 0.809 हेक्टे. अर्थात् 2.00 एकड़ भूमि वादी/अपीलार्थी के नाम है। उसी क्षेत्रफल में से संशोधन क्रमांक 34, दिनांक 12.05.1996 के अनुसार ख.क्र. 6/2 में से 2.00 एकड़ भूमि सीताराम पिता भरत को आवंटित की गई है तब शेष 68 डिसमिल भूमि रह जाती है। इस स्थिति में उत्तरवादी/प्रतिवादी को 2.00 एकड़ भूमि शेष न होने के बाद कैसे आवंटित हो सकती है। प्रतिवादी की प्रतिरक्षा झूठी है।

15. उत्तरवादी/प्रतिवादी की ओर से तर्क कर निवेदन किया गया है कि प्र.डी. 11 अधिकार अभिलेख पंजी वर्ष 1954-55 के अनुसार ख.क्र. 6 का कुल रकबा 28 एकड़ है जो बड़े झाड़ का जंगल लेख होकर चराई ईमारती व जलाऊ लकड़ी के लिए होना लेख है। इस दस्तावेज का खंडन न होना निवेदन किया गया है। प्र.डी. 8 भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका भाग-एक क्रमांक पी-1710359 के अनुसार भगतलाल पिता तोरन के नाम खसरा नंबर 6/2 में से 0.809 हेक्टे. भूमि की यह पुस्तिका दिनांक 24.07.1997 को तहसीलदार के हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी हुई है।

16. प्र.डी. 10 के अनुसार ख.क्र. 6/2 में से 2.00 एकड़ भूमि मद घास के संबंध में राजस्व प्रकरण में जारी इस्तेहार की कार्बन प्रति है जिसके अनुसार भगत पिता तोरन जाति अहीर को उक्त भू-खंड आवंटित करने में यदि किसी को आपत्ति हो तो दिनांक 31.07.1996 को न्यायालय नायब तहसीलदार बिरसा के समक्ष पेश करे, बाद में आपत्तियों का विचार नहीं किया जावेगा लेख है। इसलिए उत्तरवादी/प्रतिवादी को भी राजस्व प्रकरण में कार्यवाही कर 2.00 एकड़ भूमि आवंटित हुई है। तत्संबंध में प्र.डी. 12, प्र. डी. 13, प्र.डी. 15 की खसरा नकलों में प्रविष्टियाँ हैं। इन दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर खसरा नंबर 6/2 के रकबा 2.00 एकड़ का भूमि स्वामी प्रतिवादी/उत्तरवादी है। अपीलार्थी/वादी ने खसरा क्रमांक 6/3 रकबा 2.00

एकड़ के संबंध में वाद पेश किया है। राजस्व नक्शों में खसरा नंबर 6/3 का अस्तित्व न होने से वाद निष्फल हुआ है।

17. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उभयपक्षों की मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर लेख निष्कर्ष निकालने में तथ्य की, विधि की और साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि नहीं की है। प्रस्तुत अपील स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 28.02.2017 हस्तक्षेप किए जाने योग्य नहीं है।

18. परिणामतः अपीलार्थी/वादी की ओर से पेश नियमित व्यवहार वाद क्रमांक 300088ए/2016 में पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 28.02.2017 के अनुसार अपीलार्थी/वादी का वाद निरस्त किए जाने तथा उत्तरवादी/प्रतिवादी का प्रतिदावा स्वीकार किए जाने की पुष्टि की जाती है। साथ ही प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

{अ} उभयपक्ष का अपील व्यय अपीलार्थी वहन करेगा।

{ब} अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।

{स} तदनुसार डिक्री बनायी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

Sd/-

(माखनलाल झाड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश,
श्रृंखला न्यायालय बैहर
जिला-बालाघाट

Sd/-

(माखनलाल झाड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश,
श्रृंखला न्यायालय बैहर
जिला-बालाघाट

DECREE IN APPEAL FROM ORIGINAL DECREE

(Civil Procedure Code, 1908, Order XLI, Rule 35)

CIVIL APPEAL No. R.C.A. / 12 OF 2017

IN THE COURT OF माखनलाल झोड़, द्वि.अ.जि.न्या.बालाघाट
शृंखला न्यायालय - बैहर

गुहरीसिंह पिता हिरतसिंह उम्र 50 वर्ष जाति गोण्ड
निवासी-ग्राम लोरमी तहसील बैहर जिला बालाघाट - - अपीलार्थी

-// विरुद्ध // -

- 1- भगत पिता तोरन उम्र 40 वर्ष जाति अहीर
निवासी-ग्राम लोरमी तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 2- श्रीमान् जिलाध्यक्ष महोदय जिला बालाघाट - - उत्तरवादीगण

Appeal from the decree of the Court व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैहर जिला
बालाघाट dated the 28 day 02-2017 Civil Suit No. 300088A of 2016.

This appeal coming on for hearing on the 16 day of Feb. 2018 before
me in the presence of-

श्री यशवंत धुर्वे अधिवक्ता .for the appellant and of
श्री पी0एन0 शुक्ला अधिवक्ता for the respondent No. 1
for the respondent No. 2 पूर्व से अनुपस्थित

It is ordered and decreed that -

अपीलार्थी/वादी की ओर से पेश नियमित व्यवहार वाद क्रमांक
300088ए/2016 में पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 28.02.2017 के अनुसार
अपीलार्थी/वादी का वाद निरस्त किए जाने तथा उत्तरवादी/प्रतिवादी का
प्रतिदावा स्वीकार किए जाने की पुष्टि की जाती है। साथ ही प्रस्तुत अपील
सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

{अ} उभयपक्ष का अपील व्यय अपीलार्थी वहन करेगा।

{ब} अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।

{स} तदनुसार डिक्री बनायी जावे।

P.T.O.

The costs of this appeal, as detailed below amounting to Rupees 22/- are to be Paid by the **Appellants**.

~~The cost of the original suit be paid by the~~

Given under my hand and the seal of the Court, this **20 day of Feb. 2018**.

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

COSTS OF APPEAL

	Appellant	Amount	Respondent	Amount
1.	Stamp for memorandum of appeal objections or Petitions	120.00	Stamp for Power	10.00
2.	Stamp for Power	10.00	Stamp for Petition	-
3.	Stamp for Exhibits	-	Service of Processes	
4.	Service of Processes	20.00	Pleader's fee on Rs. (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	12.00
5.	Pleader's Fee on Rs..... (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	12.00		
6.	Application & Affidavite	15.00		
	Total :-	177.00	Total :-	22.00
	(एक सौ सतत्तर रूपए)		(बाईस रूपए)	

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर